23/04/2020

LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

Dr. Yaudhvir Singh
Head of Law faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

MANEESHA SHARMA
Law faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न- सुलह कार्यवाही से आप क्या समझते है। सुलह कार्यवाही का आरम्भ किस प्रकार होता है। सुलहकर्त्ताओं की नियुक्ति एवं भूमिका का पूर्णरूप से वर्णन कीजिए।

उत्तर- सुलह कार्यवाही का अर्थ:- धारा 61 के अनुसार इस अधिनियम के भाग-3 के अन्तर्गत जब तक पक्षकारों के बीच अन्यथा करार नहीं होता तब तक यह भाग कानूनी सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले विवादों के सुलह पर लागू होगा चाहे संविदात्मक हो या न हो और उससे सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों पर लागू होगा। यह भाग वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ उस समय लागू होने वाली किसी भी विधि के गुण द्वारा कुछ विवादों को सुलह हेतु पेश नहीं किया जा सकता है।

धारा 61 दो उपधाराओं में विभाजित है। धारा 61(1) के अनुसार, जब तक पक्षों के मध्य इसके विपरीत करार न हो यह भाग सभी विवादों पर लागू होता है। भले ही विवाद संविदात्मक हो या असंविदात्मक क्योंकि विवाद वैधानिक सम्बन्धों से उत्पन्न हुआ हो।

परन्तु उपधारा (2) में वर्णित 'उस समय लागू किसी विधि के द्वारा अन्यथा उपबन्ध किया गया है उसके सिवाय' शब्दावली यह स्पष्ट करती है कि यदि अन्य विधि का प्रावधान किसी अन्य विधि में है तो ऐसी अवस्था में इस अधिनियम भाग के प्रावधान लागू न होंगे।

सुलह कार्यवाही का आरम्भ- धारा 62 के अनुसार, सुलह को प्रारम्भ करने वाला पक्षकार विवाद के विषय का संक्षिप्त तौर पर ज्ञान कराने के लिए एक लिखित निमन्त्रण भेजेगा। सुलह कार्यवाही उस समय प्रारम्भ होगी जब दूसरा पक्षकार सुलह करने के लिए लिखित आमन्त्रण को स्वीकार करता है। यदि दूसरा पक्षकार लिखित आमन्त्रण अस्वीकार कर देता है तो कोई सुलह कार्यवाही नहीं होगी। यदि सुलह प्रारम्भ करने वाला पक्षकार उन विधि से तीस दिनों के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं करता है जिस पर वह आमन्त्रण भेजता है तो वह सुलह करने के लिए आमन्त्रण की अस्वीकृति होने के रूप में इसके साथ व्यवहार करने का चुनाव कर सकेगा। और यदि वैसा चुनाव करता है तो वह तदनुसार दूसरे पक्षकार को लिखित तौर पर सूचना देगा।

Scanned with CamScanner

सुलहकर्ताओं की संख्या एवं नियुक्ति :- धारा 63 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब तक पक्षकारगण दो या तीन सुलहकर्तागण होने की सहमति नहीं करते हैं, सुलहकर्ता केवल एक ही होगा। एक से अधिक सुलहकर्ता होने की स्थिति में उन्हें संयुक्त रूप में होना चाहिए।

सुलहकर्ता के कथनों का प्रस्तुतीकरण :-

धारा 65 के अनुसार, सुलहकर्ता अपनी नियुक्ति पर विवाद की सामान्य प्रकृति और वाद-विन्दु का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त लिखित कथन स्वयं को पेश करने का निवेदन प्रत्येक पक्षकार से करेगा। प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे कथन की एक प्रतिलिपि भेज देगा। सुलहकर्ता उचित समझे जाने पर पक्षकार से उपयुक्त दस्तावेज, साक्ष्य एवं अन्य कथन स्वयं को पेश करने के लिए निवेदन करेगा। सुलह-कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर सुलहकर्ता उचित समझे जाने पर, पक्षकार से स्वयं को कोई अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए निवेदना करेगा।

धारा 66 के अनुसार, सुलहकर्ताओं को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा बाध्य नहीं किया जाता है।

सुलहकर्ताओं की भूमिका :-

धारा 67 के अनुसार सुलहकर्ताओं की भूमिका के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं इसके अनुसार -

(i) सुलहकर्ता पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण समझौता कराने में अपने प्रयास स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंग से करेगा।

धारा 69 के अनुसार :-

सुलहकर्ता मौखिक या लिखित रूप से उनके साथ पत्र-व्यवहार कर सकेगा या उससे मिलने के लिए पक्षकारों को साथ-2 मिलने या संसूचित करने के लिए या उनमें से प्रत्येक के साथ-2 पृथक-पृथक तौर पर आमन्त्रित कर सकेगा।

पक्षकारों का सहयोग :-

~~धारा 71 के अनुसार~~, ~~पक्ष~~

धारा 68 के अनुसार, सुलहकर्ता के संचालन को और आसान बनाने के लिए पक्षकारगण को सहमति

के साथ, सुलहकर्ता, एक उपयुक्त सहायता संस्थान या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता के लिए व्यवस्था करेगा।

पक्षकारों का सहयोग :-

धारा 71 के अनुसार, पक्षकार सुलहकर्ता के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करेगा और विशेषकर, लिखित तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करेगा।

धारा 72 के अनुसार, प्रत्येक पक्षकार विवाद के निपटारे के लिए सुलहकर्ता के साथ अपने सुझाव पेश कर सकेगा।

Scanned with CamScanner